



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद  
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD  
कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद  
Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad  
दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015  
E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

No. CC 1/ABD/HQ/17(2)/CMH(147)/2024-25 1253

दिनांक : 05.08.2024

**विषय :** आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन चंद्र मणि हॉस्पिटल, प्रो. डॉ रूपकुमार अग्रवाल, 1, नीलमबाग फ्लैट, गिरधरनगर, शाहीबाग, अहमदाबाद - 380004 (पैन: AALPA9193R) को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में-

**Sub. :** Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Chandra Mani Hospital, Prop. Dr. Rupkumar Agrawal, 1, Nilambaug Flat, Girdharnagar, Shahibaug, Ahmedabad - 380004 (PAN: AALPA9193R)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन/Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मामोदशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

चंद्र मणि हॉस्पिटल, प्रो. डॉ रूपकुमार अग्रवाल, 1, नीलमबाग फ्लैट, गिरधरनगर, शाहीबाग, अहमदाबाद - 380004 (पैन: AALPA9193R)

को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules, 1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Chandra Mani Hospital, Prop. Dr. Rupkumar Agrawal, 1, Nilambaug Flat, Girdharnagar, Shahibaug, Ahmedabad - 380004 (PAN: AALPA9193R)

2. तदनुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकर नियमावली 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा सदत्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15.16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment or any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of any sum actually paid by the employer for the purpose of the treatment prescribed under Rule 3A(1) of the Income Tax Rules, 1962 shall not be deemed to be a sum received by the employee for the purpose of section 15.16 and 17 of the Income Tax Act, 1961. The employer shall not be liable for the deduction of tax under section 192 of the Income Tax Act, 1961 in respect of such sum.

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)

RECEIPT CLERK  
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त  
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
07 AUG 2024  
R-3130  
गुजरात, अहमदाबाद  
GUJARAT, AHMEDABAD

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)  
किया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त  
08 AUG 2024  
प्रति दिनांक  
क्रमांक.....

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सामान्य)  
आयकर अधिकारी  
आयकर अधिकारी  
(मुख्या) (सामान्य)  
एवं टी.पी.एस.

Ravi  
09/08/24

of the Income tax Rules, 1962 shall not be treated as prerequisite for the purpose of section 15, 16 and 17 of the Income tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax 1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख 08.11.2023 से 07.11.2026 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of three years from 08.11.2023 to 07.11.2026 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

- (क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।
- (a) The approval is not transferable,
- (ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।
- (b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,
- (ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।
- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

- (घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 90 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- (d) The application for renewal of approval should be submitted at least 90 days before the expiry of the current approval.

(एल. के. अग्रवाल)

(L. K. AGRAWAL)


मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।  
Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, चंद्र मणि हॉस्पिटल, प्रो. डॉ. रूपकुमार अग्रवाल, 1, नीलमबाग फ्लैट, गिरधरनगर, शाहीबाग, अहमदाबाद - 380004

The Director, Chandra Mani Hospital, Prop. Dr. Rupkumar Agrawal, 1, Nilambaug Flat, Girdharnagar, Shahibaug, Ahmedabad – 380004 (PAN: AALPA9193R)

Copy To/ पतिलिपि -

- (1) Principal Commissioners of Income tax – 3, Ahmedabad
- (2) The Addl. CIT. Range-4(1), Ahmedabad.
- (3) ITO, Ward 4(2)(3), Ahmedabad
- (4) ITO, (Welfare), Ahmedabad
- (5) Guard File.



(पंकज डी परमार)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)-1,  
कृते. मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1